राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एडीसी/2017/ दिनांक :

आदेश

मैसर्स मॉडर्न हैण्डलूम प्रोड्यूसर कॉओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कालवाड़ हाउस, तोपखाना रोड़, चांदपोल, जयपुर (जिसे आगे से "लाईसेन्सी" के नाम से संबोधित किया जावेगा) जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः "अधिनियम" एवं "नियमावली" शब्दों के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रावधानों के तहत Unsterlized Handloom Surgical and Dressings of Prescribed Standard निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-556 प्रपत्र 25 पर दिनांक 21.7.1978 को जारी किये गये हैं एवं जो दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत थे। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार फर्म द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-556 प्रपत्र 25 पर दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2021 तक के नवीनीकरण के लिये नियमानुसार आवेदन मय दस्तावेज ,फीस विभाग में प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पत्र कमांक एडीसी/एम.एस.एस./2016/1818 दिनांक 20.12.2016 की अनुपालना में श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सब्बल दोनों औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दिनांक 06.01.2017 को फर्म का निरीक्षण श्री अब्दुल सलाम मन्त्री, श्री गुलाम हुसैन, ऐनालिटिकल केमिस्ट एवं श्री अजीज मोहम्मद व्यवस्थापक की उपस्थिति में किया एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति वक्त निरीक्षण श्री अब्दूल सलाम मन्त्री को उपलब्ध कराई गई।

कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी/एमएफजी–कॉटन/2017/22 दिनांक 10.03.2017 द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी/जयपुर/2017/30 दिनांक 31.03.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किया गया। फर्म ने अपने पत्र कमांक 11.04.2017 के द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।

कारण बताओ नोटिस क्रमांक एडीसी/एमएफजी–कॉटन/2017/23 दिनांक 10.03.2017 के लिये प्रस्तुत जवाब दिनांक 11.04.2017, निरीक्षण रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म/प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब निम्न कारणों से संतोषजनक नहीं पाया गया ।

इस प्रकार अनियमितताऐं किया जाना प्रमाणित हुआ।

कं. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओं नोटिस के विभिन्न बिन्दु	फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब	कॉलम संख्या 2 व 3 के लिये विवेचना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	यह कि वक्त निरीक्षण निरीक्षण पुस्तिका मांगने पर उपलब्ध नहीं करवायी गयी।	समिति में निरीक्षण पुस्तिका संधारित की जाती है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।	फर्म ने अपने जवाब दिनांक 11.04.2017 मे अंकित किया कि समिति में निरीक्षण पुस्तिका संधारित की जाती है एवं जवाब के साथ निरीक्षण दिनांक 29.07.1999, 12.08.1999, 27.04.2000, 12.05.2000, 16.10.2002, 25.05.2004, 21.06.2006 की छायाप्रति संलग्न की जिससे स्पष्ट है कि फर्म के पास निरीक्षण पुस्तिका संधारित है परन्तु निरीक्षण दिनांक को निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नही करायी गई।	अनियमितता प्रमाणित है।
2	यह कि दिनांक 31.12.2016 के बाद का फार्म 26 मांगने पर प्रस्तुत नही किया गया एवं नवीनीकरण बाबत दिनांक 30.12.2016 को चालान मय फार्म 24 कार्यालय में जमा कराना अवगत करवाया गया।	मैन्यूफैक्चरिंग ड्रगलाइसेंस नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ फार्म 26 में फार्म 24 व चालान है।	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार फर्म द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-556 प्रपत्र 25 पर दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2021 तक के नवीनीकरण के लिये नियमानुसार आवेदन मय दस्तावेज ,फीस विभाग में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।	—
3	यह कि वक्त निरीक्षण वक्त निरीक्षण गॉज/बैण्डेज के निर्माण बाबत् एक मैन्युवल रॉलिंग मशीन, एक इलेक्ट्रोनिक कटिंग मशीन एवं एक मैन्युवल कटिंग मशीन पायी गयी।	निरीक्षण के वक्त पाई गई मशीनों जो कि मैनवल रोलिंग मशीन एक इलैक्ट्रोनिक कटिंग मशीन एवं मैनवल कटिंग मशीन भी शेड्यूल एम पार्ट II के अनुरूप थी हमारे द्वारा	कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार निरीक्षण दिनांक 16.11.2012 को निम्नानुसार मशीनरी इक्युपमैन्ट की सूची प्रस्तुत की गई 1.बैण्डेज रोलिंग एण्ड कटिंग मशीन मात्रा 02 2.मॉलडस (कटिंग) मात्रा 06 3.मैजरिंग टैप मात्रा 02 4.इलैक्ट्रीक कटर मात्रा 01 5.सीजर्स मात्रा 02	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।

		प्रत्येक समय लाइसेन्स रिनिवल के वक्त कार्यालय को प्रस्तुत की गई।		
4	यह कि वक्त निरीक्षण संस्था द्वारा साधारण बैण्डेज साईज 5m x15cm बैच संख्या 640 की कुल 500 दर्जन मात्रा का निर्माण किया जाना पाया गया जिसका नमूना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत श्री अजय कुमार सबल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा जॉच बाबत् लिया गया, जिसकी जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है।	बैच नं0 640 की सरकार द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न है।	राजकीय विश्लेषक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर की टेस्ट रिपोर्ट कमांक3162/2016–17/डीटीएल/2017 दिनांक 20.02.2017 के द्वारा मानक कोटि की घोषित की गई।	—
5	यह कि वक्त निरीक्षण निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 5 में वर्णित साधारण बेण्डेज के अलावा अन्य बैच का भौतिक स्टॉक शून्य पाया गया।	वक्त निरीक्षण हमारी कार्यशाला मे बैच नं. 640 की ही निर्माण प्रकिया चालू थी इससे पहले के बैचों का निर्माण कर सप्लाई किया जा चुका था।	जवाब माने जाने योग्य है।	—
6	यह कि निरीक्षण रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध फार्म–25 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वक्त निरीक्षण मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट श्री तारा प्रकाश अनुपस्थित पाये गये।	श्री तारा प्रकाश शर्मा मैन्यू. केमीस्ट अस्वस्थ होने के कारण वक्त निरीक्षण अनुपस्थित थें उनकी छुटटी के लिए प्रार्थना की छाया प्रति संलग्न है।	जवाब के अनुसार संलग्न दस्तावेज निरीक्षण के वक्त नही उपलब्ध कराने के कारण जवाब माने जाने योग्य नही है।	
7	यह कि प्राप्त शिकायत के संदर्भ में फर्म की जॉच/निरीक्षण करने पर पाया गया कि– • यह कि संस्था से पिछले तीन वर्षो के बिजली के बिलो की प्रतियां जॉच बाबत् चाहने पर प्रस्तुत नही की गई	बिजली के बिल मकान मालिक द्वारा भुगतान किया जाता है वक्त निरीक्षण किराया नामा उपलब्ध कराया गया था जिसकी छाया प्रति संलग्न है।	प्रस्तुत जबाब दिनांक 11.04.2017 के साथ संलग्न 500 रूपये के स्टॉम पेपर कमांक G 755916 दिनांक 06 जनवरी 2017 की किरायानामा के नवीनीकरण दिनांक 01.12. 2016 की छायाप्रति में अंकित किया है कि उपरोक्त किरायेशुदा सम्पति में नल, बिजली के कनेक्शन लगे हुए जो किरायेराशि में शामिल है। जबकि रिकॉर्ड के अनुसार किराये के सम्बन्ध में 300 रूपये की रसीद संलग्न है। जो कि वर्तमान मे प्रस्तुत प्रकरण के लिए मानने योग्य एवं सन्तोषजनक नहीं है क्योकि निरीक्षण दिनांक चूंकि 06.01.2017 पिछले तीन वर्षो के बिजली के बिलो की प्रतियां जॉच बाबत चाही गयी थी।	अनियमितता प्रमाणित है
	• यह कि वक्त निरीक्षण श्री अब्दुल सलाम से संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में गॉज/बैण्डेज के निर्माण बाबत् खरीद किये गये सूत के बिल/कपडे के थान के बिल/ट्रासपोर्ट बिल्टी संबंधित दस्तावेज जॉच बाबत् चाहे गये जिस पर संस्था द्वारा बताया गया कि	वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के कच्चे माल खरिद बिलों की छाया प्रति संलग्न है।	जवाब के साथ कुछ Invoice की छायाप्रति प्रेषित की है परन्तु निरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब पूर्ण रूप से माने जाने योग्य नहीं है।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।

	संस्था द्वारा केवल कपडे के थान ही जयपुर में स्थित फर्मो से खरीदा जाता है वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के बिल प्रस्तुत नही किये गये एवं बिल सीए के पास होना बताया गया।			
	• यह कि श्री अब्दुल सलाम से संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन साल में भुगतान की गई सैलेरी की जॉच बाबत् कर्मचारी हाजरी रजिस्टर/उपस्थिति पंजिका, वेतन भुगतान रजिस्टर एवं पैमेन्ट स्लीप इत्यादि चाही गई जिस पर श्री अब्दुल सलाम द्वारा बताया गया कि संस्था द्वारा उपस्थिति रजिस्टर संधारित नही किया जाता है एवं मजदूरो को सैलेरी नगद दी जाती है इस बाबत् वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वेतन भुगतान का रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया।	वेतन एंव परिश्रमिक भुगतान विवरण वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की छाया प्रति संलग्न है।	जवाब के साथ कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिसमें वर्ष 2014–15, 2015–16 के लिये पेकिंग कटिंग मजदुरी, किराया भुगतान इत्यादि से संबंधित राशि अंकित की है। परन्तु निरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब पूर्ण रूप से माने जाने योग्य नही है।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।
	• यह कि फर्म पर कपडे के थान के ब्लीच करने की सुविधा नही पाई गई। श्री अब्दुल सलाम द्वारा गॉज/बैण्डेज के कपडे के थान की ब्लीचिंग बाबत् अवगत कराया/पाया गया कि संस्था द्वारा ग्रे कपडे के थान मार्केट से खरीदा जाता है एवं ब्लीचिंग मैसर्स जे. बी. डायर, बास बदनपुरा, जयपुर, बंसल डायर्स, सांगानेर जयपुर इत्यादि फर्मो से करवाना बताया ।	ब्लिचिंग के बिलों की वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की छाया प्रति संलग्न है।	जवाब के साथ संलग्न छायाप्रतियां माने जाने योग्य नही है, क्योकि निरीक्षण के वक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।
	• यह कि वक्त निरीक्षण परिसर में गॉज/बैण्डेज के सूत के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कोई हैण्डेलूम मशीन संधारित नहीं पायी गयी।	गॉज बैण्डेज का निर्माण कार्य के लिए शेड्यूल एम पार्ट II में वर्णित मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। एवं उन्ही के आधार पर हमें लाइसेंन्स प्रदान किया जाता है। सूत निर्माण की मशीन शेड्यूल एम पार्ट II में अनिवार्य नहीं है।	जवाब माने जाने योग्य नही है।	अनियमितता प्रमाणित है।
8	यह कि शिकायत में वर्णित बिन्दु जो कि निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 10(I-V) में अंकित है, के संबंध मे वर्ष 2014 एवं 2015 से संबंधित दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नही किये गये।	—	जवाब मे उक्त बिन्दु का अलग से कोई ब्यौरा अंकित नही परन्तु उपरोक्तानुसा जवाब माने जाने योग्य नहीं है।	आंशिक अनियमित्ता प्रमाणित है।

18
24/04/17

जिसके फलस्वरूप लाईसेंसी द्वारा नियमावली के नियम 124–C एवं शिड्यूल–एफ II सपठित अधिनियम की धारा 18(a)(vi), (b) एवं लाईसेंस की शर्तों (नियम 74 प्रपत्र 25 से संबंधित) का उलंघन किया जाना प्रमाणित हैं।

अतः मैं संजय सिंघल, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर नियमावली के नियम 85 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाईसेंसी को जारी सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-556 प्रपत्र 25 पर दिनांक 21.7.1978 को जारी किये गये हैं एवं जो दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत थे। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार फर्म द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या RAJ-556 प्रपत्र 25 पर दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2021 तक के नवीनीकरण के लिये नियमानुसार आवेदन मय दस्तावेज ,फीस विभाग में प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है, को 01 माह के लिये (01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक) निलम्बित करता हूँ ।

उक्त कार्यवाही लाईसेंसी के विरूद्ध लम्बित/भविष्य में की जाने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर बिना विपरीत प्रभाव डाले की जा रही है।

(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।

क्रमांक : एडीसी/2017/46 दिनांक : 21/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड, जयपुर!
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चौमू हाउस, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0 क0/आई0ई0सी0/ई0एस0आई0/एम0एस0यू0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
5. औषधि नियंत्रक–प्रथम एवं द्वितीय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. मैसर्स मॉडर्न हैण्डलूम प्रोड्यूसर कॉओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कालवाड़ हाउस, तोपखाना रोड़, चांदपोल, जयपुर को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवधि में स्वीकृत उत्पाद (Unsterlized Handloom Surgical and Dressings of Prescribed Standard) निर्माण, क्रय एवं विक्रय बंद रखें, तथा दिनांक 30.06.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधियो के लिये अन्तिम विक्रय बिल तथा दिनांक 01.08.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधियो के लिये प्रथम विक्रय बिल मय दस्तावेज यथा समय कार्यालय में प्रस्तुत करें। फर्म द्वारा अपने जवाब दिनांक 11.04.2017 के साथ संलग्न 500 रूपये के स्टॉम पेपर कमांक G 755916 दिनांक 06 जनवरी 2017 की किरायानामा के नवीनीकरण दिनांक 01.12.2016 की छायाप्रति में अंकित किया है कि उपरोक्त किरायेशुदा सम्पति में नल, बिजली के कनेक्शन लगे हुए जो किरायेराशि में शामिल है। जबकि रिकॉर्ड के अनुसार किराये के सम्बन्ध में 300 रूपये की रसीद संलग्न है। जो कि वर्तमान मे प्रस्तुत प्रकरण के लिए मानने योग्य एवं सन्तोषजनक नहीं है अतः इस परिपेक्ष्य में फर्म को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.08.2017 को निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व फर्म परिसर पर अलग से बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर 1 वर्ष (Tentative) तक प्रति माह बिजली के बिल मय जमा राशि की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें। (रजिस्टर्ड)
11. श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सब्बल दोनों औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना यथा समय सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
12. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
13. थानाधिकारी, पुलिस थाना, चांदपोल/संजय सर्किल, जिला–जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा कार्यवाही हेतु इमदाद मांगे जाने पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।
14. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई–मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।

20/4/17
(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।